ऑनलाईन साक्षात्कार पत्र के निर्देशों का अत्यंत सावधानीपूर्वक अध्ययन कर व उन्हें भली-भांति समझने के पश्चात आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध समस्त 04 प्रपत्रों का प्रिंट निकालकर आवश्यक जानकारियों की प्रविष्टि कर साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करें।

प्रावधिक-पत्र विज्ञापन की शर्तों के अधीन

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

शंकर नगर मार्ग, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष (का.) 0771-2439562, फैक्स 0771-2331525, 2446556 वेबसाइट : www.psc.cg.gov.in

क्रमांक 2823/27/चयन/2019 रायपुर, दिनांक 20 DEC 2019

साक्षात्कार-पत्र
राज्य सेवा परीक्षा-2018

महोदय/महोदया,

राज्य सेवा परीक्षा-2018 के साक्षात्कार हेतु तिथि एवं समय अनुक्रमांकवार आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध है। साक्षात्कार से एक दिवस पूर्व (सत्यापन तिथि के अनुसार) मूल दस्तावेजों के सत्यापन हेतु आपको आयोग कार्यालय में उसी समय पर उपस्थित होना होगा, जो समय आपके साक्षात्कार हेतु निर्धारित किया गया है।

2. साक्षात्कार के लिए उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथि/समय में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा साक्षात्कार तिथि के एक दिन पूर्व निर्धारित तिथि एवं समय में दस्तावेजों का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि एवं समय में दस्तावेज सत्यापन नहीं कराने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। नीचे लिखे निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लें एवं आवश्यक मूल दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि एवं समय पर आयोग कार्यालय में उपस्थिति देवें।

2.1 राज्य सेवा परीक्षा-2018 के साक्षात्कार हेतु चिन्हांकित उक्त अभ्यर्थियों को विज्ञापित पदों की ऑनलाईन अग्रमान्यता अंकित करनी होगी। ऑनलाईन अग्रमान्यता अभ्यर्थी अपने साक्षात्कार दिवस के एक दिन पूर्व तक प्रविष्टि कर अवश्य डाऊनलोड कर लेवें। अभ्यर्थी अच्छी गुणवत्ता के ए4 साइज पेपर पर अग्रमान्यता पत्रक का प्रिंट प्राप्त करेंगे। साथ ही अन्य आवश्यक दस्तावेज वेबसाइट से डाउन लोड करने होगें। **दस्तावेज सत्यापन के समय जांचकर्ता के समक्ष अपने साथ लाए गए उक्त प्रिंट आउट तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करने पर ही अभ्यर्थी को साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी।** ऑनलाइन अग्रमान्यता का अंकन अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा। अंकित की गई अग्रमान्यता के लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त हेतु वे अन्य को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकेंगे। ऑनलाइन अग्रमान्यता भरने के लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा और न ही सुधार/परिवर्तन संबंधी किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन आयोग द्वारा स्वीकार किया जाएगा। (अतः अभ्यर्थी अग्रमान्यता पत्रक को पूर्ण सावधानी के साथ भरें।) निर्धारित अवधि में ऑनलाईन अग्रमान्यता दर्ज नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अग्रमान्यता, संबंधित विज्ञापन में विज्ञापित पदों के क्रम में ले ली जाएगी तथा इस संदर्भ में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा।

2.2 सफलतापूर्वक ऑनलॉइन अग्रमान्यता पत्रक भरने के पश्चात् साक्षात्कार बुलावा पत्र एवं संलग्न चार दस्तावेज (1) जानकारी पत्रक (01 प्रति में), (2) अनुप्रमाणन-पत्र (03 प्रति में) (3) उपस्थिति पत्रक (01 प्रति में) तथा (4) व्यक्तिगत विवरण (06 प्रतियों में) डाऊनलोड कर आवश्यक प्रविष्टियां कर दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अनुप्रमाणन पत्र एवं जानकारी पत्रक महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं तथा इसमें त्रुटिपूर्ण/गलत जानकारी दिये जाने पर आपकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है।

2.3 अनुप्रमाणन पत्रक के पहचान प्रमाण पत्र कॉलम में किसी राजपत्रित अधिकारी से सत्यापन कराया जाना अनिवार्य है। अतः राजपत्रित अधिकारी से सत्यापन कराकर ही अनुप्रमाणन पत्रक की हार्डकॉपी तीन प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा।

2.4 **राज्य सेवा परीक्षा–2018 के पद के लिए आयोग द्वारा प्रसारित विज्ञापन के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता – "अभ्यर्थी के पास भारत में केन्द्रीय या राज्य विधान मंडलों के अधिनियम् द्वारा निगमित/समाविष्ट विश्वविद्यालयों में से किसी विश्वविद्यालय की या संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम् 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय मानी गई किसी शैक्षणिक संस्था की उपाधि (डिग्री) होनी चाहिए अथवा उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिये" तथा इस संबंध में उपाधि प्रमाण पत्र की मूल प्रति तथा दो–दो सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करें।**

2.5 **यदि आपने छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी होने एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का होने के आधार पर आरक्षण का लाभ लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है, तो आवेदक को साक्षात्कार के लिये उपस्थित होने पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व) द्वारा जारी किया गया स्थायी जाति प्रमाण पत्र, मध्यप्रदेश शासन के समय जारी किये गये प्रमाण पत्र का राज्य गठन के पश्चात पुनर्वैधिकृत प्रमाण पत्र अथवा राज्य गठन के पश्चात् सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है, उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने पर आपको अनर्ह करते हुए साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा।**

2.6 यदि आपने छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी होने एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का होने के आधार पर आरक्षण का लाभ लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है तो राज्य गठन के पश्चात् छत्तीसगढ़ शासन के सक्षम प्राधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व) द्वारा जारी किये गये अन्य पिछडा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, परन्तु यदि आप एकीकृत मध्य प्रदेश के समय का छत्तीसगढ राज्य की सीमाओं के अधीन जिले/अनुविभाग के द्वारा जारी किया गया "जाति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करते हैं तो उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त आवेदन प्रस्तुत करने के अंतिम तिथि के 03 वर्ष के भीतर का स्वयं को "गैर क्रीमीलेयर" में आने के संबंध में "आय प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करना होगा तभी राज्य गठन के पूर्व जारी "जाति प्रमाण पत्र" (उल्लेखित अनुसार आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर) मान्य होगा। उल्लेखित अनुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर आपको अनर्ह करते हुए साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा।

2.7 छ.ग. राज्य के गठन के पश्चात अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें (गैर क्रीमीलेयर) का होने के आधार पर छ.ग. शासन के सक्षम प्राधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी राजस्व) द्वारा स्थायी जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया है। यदि यह जाति प्रमाण पत्र विज्ञापन में दर्शित अंतिम तिथि के 3 वर्ष पूर्व का हो, तो उन अभ्यर्थियों को भी आवेदन प्रस्तुत करने के अंतिम तिथि के 03 वर्ष के भीतर का स्वयं को गैर क्रीमीलेयर में आने के संबंध में आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

2.8 यदि आप शासकीय/अर्द्धशासकीय/गैर शासकीय/नीजि प्रतिष्ठानों में कार्यरत हैं तो नियोक्ता /सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

2.9 यदि आयोग द्वारा प्रसारित विज्ञापन के अनुसार आवेदन करने के पश्चात् आपके उपनाम में परिवर्तन हुआ हो तो उपनाम परिवर्तन का शपथपत्र की दो–दो सत्यापित अथवा स्वप्रमणित छायाप्रति प्रस्तुत करें।

2.10 जन्म तिथि के प्रमाण के संबंध में हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा से संबंधित मूल प्रति एवं दो–दो सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति।

2.11 यदि आप छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी हैं तथा आपने विज्ञापन में दर्शित अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट क्लेम किया है तो छूट क्लेम किये जाने से संबंधित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं दो–दो सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति।

2.12 यदि आप निःशक्तजन हैं तो शारीरिक विकलांगता 40 प्रतिशत् या उससे अधिक हो तो चिकित्सा मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं दो–दो सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति। **छत्तीसगढ़ के स्थानीय/मूल निवासी निःशक्तजन ही मान्य होगें। अन्य राज्य के निःशक्तजन अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में मान्य किये जायेगें।**

2.13 विज्ञापन की कंडिका 15(iii) के अनुसार – छत्तीसगढ़ के मूल/स्थानीय निवासी भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो पद आरक्षित किये गये हैं, ऐसे अभ्यर्थी जो स्वयं भूतपूर्व सैनिक हो (भूतपूर्व सैनिक पर आश्रित अभ्यर्थी मान्य नहीं होगें।) यदि वे भूतपूर्व सैनिक के डिस्चार्ज सर्टिफिकेट (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में) अभिवचन पत्र तथा मूल निवास प्रमाण पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक हैं। अतः संबंधित प्रमाण पत्र दो–दो प्रतियों में सत्यापित अथवा स्व प्रमाणित प्रस्तुत करना होगा।

2.14 विज्ञापन क्र. 07/2018/परीक्षा/दिनांक 01.10.2018 की कंडिका (21)(v) के अनुसार कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

2.15 आपके द्वारा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2018 के लिए ऑनलाईन भरे गये आवेदन पत्र की हॉर्ड कॉपी (प्रिंटआऊट) की प्रति के साथ–साथ पहचान–पत्र जैसे मतदाता पहचान पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस, आधार कार्ड या पेन कार्ड इनमें से कोई भी एक पहचान पत्र की मूल प्रति एवं दो–दो छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

3. **यदि आप उपरोक्तानुसार जानकारी (जो लागू होता हैं) के साथ उपस्थित नहीं होते हैं तो आपको साक्षात्कार से वंचित किया जा सकेगा तथा आप उक्त पद हेतु वास्तव में सभी आवश्यक शर्तों की पूर्ति करते हैं अथवा नहीं, के निर्धारण करने का अधिकार आयोग का होगा एवं इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।**

4. साक्षात्कार के लिए यात्रा व्यय स्वयं अभ्यर्थी के द्वारा वहन की जाएगी, परन्तु छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के केवल बेरोजगार **अभ्यर्थियों को उनके द्वारा बस/रेल टिकट प्रस्तुत किये जाने पर साधारण दर्जे का वास्तविक किराया राशि की पात्रता होगी।**

5.1 **साक्षात्कार के समय आवेदित पद से संबंधित शैक्षणिक अर्हता विज्ञापन क्रमांक 07/2018/परीक्षा/दिनांक 01.10.2018 की कंडिका 7 के अनुसार उम्मीदवार के पास होना चाहिए।" यह स्पष्ट किया जाता है कि शैक्षणिक अर्हता से संबंधित अंक सूची (सभी वर्षों के वार्षिक परीक्षा/सेमेस्टर की परीक्षा) प्रमाण पत्र, मुख्य परीक्षा के ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 05.01.2019 तक का अथवा उसके पूर्व का होना अनिवार्य है। उक्त तिथि के बाद के अंकसूची/डिग्री/प्रमाण पत्र/नवीन प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। साक्षात्कार के पूर्व विज्ञापन के अनुसार निर्धारित अर्हता, आयु सीमा छूट क्लेम किया हो तो तत्संबंध में दस्तावेज, आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन हो तो निर्देश पैरा 2.5 एवं 2.6 अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके अभाव में आपको साक्षात्कार के लिए अनर्ह कर दिया जाएगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।**

5.2 शैक्षणिक अर्हता से संबंधित अंक सूची (सभी वर्षो के वार्षिक परीक्षा/सेमेस्टर की परीक्षा) प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं दो–दो प्रति छायाप्रति प्रस्तुत करें।

5.3 यह स्पष्ट किया जाता है कि साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को चयन के लिये अनर्ह माना जायेगा।

5.4 विज्ञापन की कंडिका 8 के अनुसार आयु की गणना 01/01/2018 से की जायेगी।

20.12.19

परीक्षा नियंत्रक
छ.ग. लोक सेवा आयोग
रायपुर

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

साक्षात्कार समय–सारिणी

राज्य सेवा परीक्षा–2018

(छत्तीसगढ़ शासन के अधीनस्थ विभाग)

दस्तावेज सत्यापन तिथि	साक्षात्कार तिथि	प्रथम पाली (सुबह 09:00 बजे से)	द्वितीय पाली (दोपहर 01:00 बजे से)
28-12-2019	30-12-2019	1807100054	1807105562
		1807100426	1807105840
		1807100448	1807105978
		1807101004	1807106247
		1807101024	1807106446
		1807101763	1807106460
		1807101972	1807106472
		1807102044	1807106483
		1807102355	1807106542
		1807102575	1807106608
		1807102884	1807106685
		1807102990	1807106724
		1807103487	1807106791
		1807103535	1807106834
		1807103544	1807106853
		1807104169	1807107318
		1807104375	1807107353
		1807104404	1807107513
		1807104543	1807107514
		1807104939	1807107633
		1807105322	1807107660
30-12-2019	31-12-2019	1807107744	1807109148
		1807107763	1807109149
		1807108099	1807109163
		1807108247	1807109194
		1807108290	1807109259
		1807108314	1807109453
		1807108352	1807109618
		1807108454	1807109797
		1807108593	1807109870
		1807108692	1807109910
		1807108760	1807109961
		1807108765	1807110004
		1807108786	1807110018
		1807108801	1807110063
		1807108811	1807110241
		1807108853	1807110261
		1807108951	1807110328
		1807109024	1807110509
		1807109072	1807110516
		1807109102	1807110646
		1807109103	1807110751

दस्तावेज सत्यापन तिथि	साक्षात्कार तिथि	प्रथम पाली (सुबह 09:00 बजे से)	द्वितीय पाली (दोपहर 01:00 बजे से)
31-12-2019	01-01-2020	1807110853	1807112623
		1807111018	1807112653
		1807111151	1807112765
		1807111198	1807112795
		1807111247	1807112891
		1807111316	1807112945
		1807111495	1807112955
		1807111515	1807113028
		1807111570	1807113081
		1807111610	1807113239
		1807111735	1807113247
		1807111794	1807113270
		1807111806	1807113487
		1807112073	1807113555
		1807112349	1807113591
		1807112358	1807113642
		1807112359	1807113906
		1807112395	1807113957
		1807112515	1807113993
		1807112565	1807114123
		1807112589	1807114149
01-01-2020	02-01-2020	1807114172	1807115285
		1807114206	1807115402
		1807114417	1807115404
		1807114565	1807115408
		1807114609	1807115435
		1807114693	1807115458
		1807114705	1807115642
		1807114713	1807115852
		1807114775	1807115936
		1807114917	1807115948
		1807114959	1807115979
		1807114982	1807116013
		1807115050	1807116018
		1807115063	1807116026
		1807115077	1807116147
		1807115085	1807116163
		1807115129	1807116169
		1807115158	1807116176
		1807115211	1807116267
		1807115264	1807116393
		1807115268	1807116464

दस्तावेज सत्यापन तिथि	साक्षात्कार तिथि	प्रथम पाली (सुबह 09:00 बजे से)	द्वितीय पाली (दोपहर 01:00 बजे से)
02-01-2020	03-01-2020	1807116807	1807118973
		1807116825	1807119167
		1807117068	1807119193
		1807117126	1807119246
		1807117553	1807119253
		1807117640	1807119262
		1807117667	1807119276
		1807117886	1807119390
		1807118013	1807119401
		1807118043	1807119438
		1807118044	1807119729
		1807118160	1807119730
		1807118215	1807119743
		1807118242	1807119754
		1807118315	1807119783
		1807118686	1807119795
		1807118694	1807119856
		1807118717	1807119915
		1807118719	1807119973
		1807118836	1807120141
		1807118843	1807120146
03-01-2020	04-01-2020	1807120165	1807121083
		1807120170	1807121085
		1807120211	1807121100
		1807120262	1807121170
		1807120265	1807121192
		1807120373	1807121213
		1807120380	1807121239
		1807120399	1807121411
		1807120499	1807121413
		1807120608	1807121504
		1807120648	1807121505
		1807120847	1807121511
		1807120860	1807121602
		1807120898	1807121605
		1807120912	1807121611
		1807120925	1807121646
		1807120968	1807121658
		1807121026	1807121741
		1807121046	1807121764
		1807121057	1807122015
		1807121080	1807122089

दस्तावेज सत्यापन तिथि	साक्षात्कार तिथि	प्रथम पाली (सुबह 09:00 बजे से)	द्वितीय पाली (दोपहर 01:00 बजे से)
04-01-2020	06-01-2020	1807122142	1807124801
		1807122214	1807124817
		1807122483	1807124989
		1807122640	1807125075
		1807122683	1807125109
		1807122757	1807125211
		1807122794	1807125222
		1807123042	1807125359
		1807123377	1807125391
		1807123460	1807125404
		1807123893	1807125424
		1807123896	1807125461
		1807123938	1807125521
		1807124097	1807125568
		1807124129	1807125575
		1807124145	1807125700
		1807124274	1807125787
		1807124378	1807125932
		1807124649	1807125962
		1807124707	1807125964
		1807124737	1807125992
06-01-2020	07-01-2020	1807126098	1807127669
		1807126237	1807127723
		1807126238	1807127727
		1807126239	1807127798
		1807126346	1807127838
		1807126372	1807127840
		1807126489	1807127844
		1807126743	1807127906
		1807126870	1807127977
		1807126898	1807128043
		1807126940	1807128105
		1807127029	1807128147
		1807127037	1807128261
		1807127111	1807128281
		1807127194	1807128329
		1807127390	1807128385
		1807127471	1807128424
		1807127506	1807128522
		1807127598	1807128652
		1807127624	1807128661
		1807127656	1807128707

दस्तावेज सत्यापन तिथि	साक्षात्कार तिथि	प्रथम पाली (सुबह 09:00 बजे से)	द्वितीय पाली (दोपहर 01:00 बजे से)
07-01-2020	08-01-2020	1807128726	1807130397
		1807128769	1807130507
		1807128807	1807130552
		1807128969	1807130662
		1807129079	1807130815
		1807129101	1807130897
		1807129254	1807131169
		1807129398	1807131221
		1807129400	1807131447
		1807129581	1807131622
		1807129679	1807131887
		1807129686	1807131945
		1807129751	1807131946
		1807129756	1807132020
		1807129857	1807132177
		1807129888	1807132218
		1807130048	1807132288
		1807130064	1807132436
		1807130232	1807132481
		1807130299	1807132745
		1807130371	1807132953
08-01-2020	09-01-2020	1807133094	1807136120
		1807133487	1807136934
		1807133671	1807137013
		1807134026	1807137041
		1807134126	1807137087
		1807134152	1807137130
		1807134247	1807137417
		1807134292	1807137444
		1807134295	1807137575
		1807134469	1807137878
		1807134804	1807137995
		1807134895	1807138123
		1807134900	1807138134
		1807135407	1807138356
		1807135435	1807138360
		1807135540	1807138517
		1807135577	1807138553
		1807135587	1807138929
		1807135612	1807139198
		1807135738	1807139213
		1807135840	1807139290

दस्तावेज सत्यापन तिथि	साक्षात्कार तिथि	प्रथम पाली (सुबह 09:00 बजे से)	द्वितीय पाली (दोपहर 01:00 बजे से)
09-01-2020	10-01-2020	1807139430	1807142481
		1807139448	1807142542
		1807139548	1807142624
		1807139643	1807142819
		1807139778	1807142858
		1807139923	1807142859
		1807140169	1807142864
		1807140193	1807143009
		1807140450	1807143143
		1807140643	1807143358
		1807140839	1807143473
		1807141031	1807143591
		1807141114	1807143621
		1807141181	1807143680
		1807141349	1807143695
		1807141353	1807144058
		1807141485	1807144298
		1807141499	1807144596
		1807141630	1807144728
		1807142029	1807144907
		1807142196	1807144986
10-01-2020	11-01-2020	1807145047	1807149210
		1807145546	1807149406
		1807145709	1807149591
		1807145891	1807149895
		1807145933	1807150655
		1807145961	1807150807
		1807146081	1807150863
		1807146645	1807150896
		1807146736	1807152326
		1807147461	1807152392
		1807148194	1807152426
		1807148312	1807152476
		1807148363	1807152735
		1807148397	1807152806
		1807148634	1807153371
		1807148653	1807153517
		1807148733	1807153598
		1807148884	1807153609
		1807149078	1807154339
		1807149163	1807154415
		1807149201	1807154650

दस्तावेज सत्यापन तिथि	साक्षात्कार तिथि	प्रथम पाली (सुबह 09:00 बजे से)	द्वितीय पाली (दोपहर 01:00 बजे से)
11-01-2020	13-01-2020	1807154785	1807159721
		1807154958	1807160182
		1807155014	1807160258
		1807155217	1807160310
		1807155328	1807160354
		1807155483	1807160377
		1807155501	1807160537
		1807155950	1807160578
		1807156032	1807160672
		1807156090	1807160820
		1807156514	1807161132
		1807156793	1807161184
		1807156915	1807161267
		1807157158	1807161278
		1807157826	1807161290
		1807158243	1807161503
		1807158544	1807161593
		1807158633	1807161609
		1807159019	1807161854
		1807159519	1807161899
		1807159544	1807162141
13-01-2020	14-01-2020	1807162189	1807167132
		1807162680	1807167222
		1807162768	1807167391
		1807163077	1807167472
		1807163478	1807167526
		1807164364	1807167636
		1807164647	1807167693
		1807164904	1807167858
		1807165146	1807168052
		1807165390	1807168338
		1807165909	1807168768
		1807165912	1807168823
		1807166047	1807168964
		1807166125	1807168992
		1807166179	1807169121
		1807166258	1807169316
		1807166429	1807169568
		1807166763	1807169759
		1807166847	1807169925
		1807166917	1807170226
		1807166968	1807170284

दस्तावेज सत्यापन तिथि	साक्षात्कार तिथि	प्रथम पाली (सुबह 09:00 बजे से)	द्वितीय पाली (दोपहर 01:00 बजे से)
14-01-2020	15-01-2020	1807170335	1807172176
		1807170406	1807172333
		1807170436	1807172353
		1807170461	1807172461
		1807170519	1807172466
		1807170718	1807172472
		1807170736	1807172565
		1807170827	1807172787
		1807170940	1807172791
		1807170950	1807172916
		1807171199	1807172984
		1807171217	1807173032
		1807171235	1807173139
		1807171391	1807173215
		1807171702	1807173219
		1807171725	1807173285
		1807171803	1807173407
		1807171855	1807173553
		1807171909	1807173611
		1807172076	1807173776
		1807172142	1807174021
15-01-2020	16-01-2020	1807174135	1807177237
		1807174148	1807177268
		1807174503	1807177326
		1807174709	1807177341
		1807175201	1807177427
		1807175352	1807177621
		1807175657	1807177714
		1807175929	1807177894
		1807175982	1807178203
		1807176066	1807178382
		1807176122	1807178417
		1807176139	1807178484
		1807176154	1807178536
		1807176586	1807178672
		1807176603	1807178735
		1807176636	1807178777
		1807176649	1807178923
		1807176768	1807179148
		1807176786	1807179154
		1807177163	1807179413
		1807177175	1807179485

दस्तावेज सत्यापन तिथि	साक्षात्कार तिथि	प्रथम पाली (सुबह 09:00 बजे से)	द्वितीय पाली (दोपहर 01:00 बजे से)
16-01-2020	17-01-2020	1807179496	1807181619
		1807179815	1807181647
		1807179956	1807181666
		1807179976	1807181687
		1807179990	1807181709
		1807180164	1807181904
		1807180266	1807181925
		1807180269	1807182009
		1807180281	1807182244
		1807180363	1807182250
		1807180566	1807182301
		1807180654	1807182330
		1807180664	1807182433
		1807180779	1807183047
		1807181018	1807183103
		1807181263	1807183311
		1807181288	1807183327
		1807181363	1807183440
		1807181417	1807183488
		1807181486	1807183653
		1807181583	1807183659
17-01-2020	18-01-2020	1807183687	1807185128
		1807183712	1807185200
		1807183797	1807185355
		1807183825	1807185479
		1807183938	1807185502
		1807183944	1807185526
		1807184019	1807185626
		1807184077	1807185641
		1807184151	1807185763
		1807184161	1807185817
		1807184211	1807185846
		1807184303	1807185933
		1807184621	1807186077
		1807184770	1807186142
		1807184804	1807186329
		1807184835	1807186461
		1807184838	1807186608
		1807184878	1807186629
		1807184956	1807186679
		1807185007	1807186680
		1807185041	1807186714

दस्तावेज सत्यापन तिथि	साक्षात्कार तिथि	प्रथम पाली (सुबह 09:00 बजे से)	द्वितीय पाली (दोपहर 01:00 बजे से)
18-01-2020	20-01-2020	1807186804	1807190005
		1807186865	1807190642
		1807186913	1807190675
		1807186917	1807190781
		1807187016	1807191436
		1807187045	1807191529
		1807187169	1807191615
		1807187474	1807191803
		1807187556	1807191853
		1807187781	1807191922
		1807187970	1807192011
		1807188036	1807192075
		1807188296	1807192082
		1807188366	1807192274
		1807188821	1807192413
		1807188833	1807192522
		1807188872	1807192754
		1807188959	1807192844
		1807189305	1807192913
		1807189408	1807192923
		1807189645	1807193136
20-01-2020	21-01-2020	1807193180	
		1807193322	
		1807193354	
		1807193565	
		1807193696	
		1807193741	
		1807193895	
		1807193909	
		1807194440	
		1807194446	
		1807194583	
		1807194600	
		1807194799	
		1807194917	
		1807194936	
		1807195113	
		1807195338	
		1807195398	
		1807195454	
		1807195558	
		1807195623	
		1807195672	
		1807195904	

टीप :– आयोग द्वारा साक्षात्कार बुलावा पत्र डाक के माध्यम से नहीं भेजे जाएंगे। अभ्यर्थी साक्षात्कार बुलावा पत्र एवं संलग्न दस्तावेज आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते है।

20.12.19

परीक्षा नियंत्रक
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,
रायपुर